संख्या– 5691 / अ0मु0स0 / सू0वि0 / 2022

प्रेषक,

नवनीत सहगल
अपर मुख्य सचिव,
सूचना विभाग,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

समस्त जिला सूचना अधिकारी / अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0।

सूचना विभाग

दिनांक : 05 अगस्त, 2022

महोदय,

जनपद स्तर पर विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले समाचारों का संज्ञान लिये जाते समय यह तथ्य संज्ञान में आया है कि विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले समाचारों को संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है।

2. ऐसा प्रतीत होता है कि जिला स्तर पर विभिन्न समाचार पत्रों में छपने वाले समाचारों पर जिला सूचना अधिकारी / अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारियों द्वारा संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप जिला स्तर पर नकारात्मक समाचारों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की जाती है और न ही इन समाचारों पर कोई कार्यवाही की जा रही है। इससे शासन की छवि जनपद व प्रदेश स्तर पर धूमिल हो रही है। कई बार विभिन्न समाचार पत्रों में निराधार व तथ्य के विपरीत समाचार भी प्रकाशित होते हैं जिनका समय से प्रतिवाद न करने से आम जनता में सरकार के विपरीत धारणा सृजित होती है, जिससे सरकार की छवि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

3. उच्चतम स्तर से उपरोक्त स्थिति पर गहरा असन्तोष प्रकट किया गया है, जिस पर प्रभावी कार्यवाही हेतु भविष्य के लिए निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती है:–

1. जिला सूचना अधिकारी / अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी द्वारा सम्बन्धित जनपद से प्रतिदिन प्रकाशित होने वाले समाचार–पत्रों में नकारात्मक और सकारात्मक समाचारों की कटिंग जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत की जोयेगी।
2. जिला मजिस्ट्रेट उन समाचार पत्रों की कटिंग में से नकारात्मक समाचारों को सम्बन्धित विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी को भेजकर प्रतिदिन सायं 06.00 बजे तक उनसे विस्तृत आख्या प्राप्त करेंगे, यदि वह समाचार निराधार व तथ्यों के विपरीत है तो समाचार पत्रों के सम्पादक / स्थानीय प्रतिनिधि के माध्यम से अवगत कराते हुए सम्बन्धित विभाग को निर्देशित करेंगे कि वह प्रकाशित समाचार के बारे में सही तथ्य सम्बन्धित समाचार पत्र के सम्पादक

को उपलब्ध करायें तथा उनसे इस बात का अनुरोध करें कि उक्त समाचार पत्र के बारे में सही तथ्यों को समाचार पत्र में प्रकाशित करायें।

3. यदि स्थानीय स्तर पर किसी समाचार पत्र द्वारा इस तरह के निराधार व तथ्यों के विपरीत समाचार के सम्बन्ध में सही तथ्य जनता के समक्ष नहीं प्रकाशित करते हैं तो इस तथ्य को अपर मुख्य सचिव, सूचना के संज्ञान में लाया जाये।
4. प्रत्येक जनपद के सभी जिला स्तरीय कार्यालयों/विभागीय कार्यालयों/निगम कार्यालयों/सरकारी संस्थाओं के कार्यालयों/बोर्डो के कार्यालयों एवं स्थानीय निकाय के कार्यालयों द्वारा कोई भी विज्ञापन बिना जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के जारी नहीं किया जायेगा तथा जिला सूचना अधिकारी/अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी जनपद के विभागों से प्राप्त होने वाले विज्ञापनों पर निदेशालय से अनुमोदन प्राप्त करेंगे। इस हेतु निदेशालय स्तर पर Ad Approval Cell का गठन किया गया है, जिसका ई–मेल addapprovalcell.info@gmail.com है। प्रत्येक जिला सूचना अधिकारी/अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी जनपद के कार्यालयों से प्राप्त इस प्रकार के सभी विज्ञापनों को विवरण समेत जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से उक्त ई–मेल पर भेजेंगे तथा विज्ञापन के प्रारूप के अनुमोदन के साथ–साथ यह भी अनुमोदन प्राप्त करेंगे कि यह विज्ञापन किन–किन समाचार पत्रों में जारी किया जाना है। इस सम्बन्ध में शासन की अनुमति/अनुमोदन के बिना कोई भी विज्ञापन किसी भी समाचार–पत्र में जारी नहीं किया जायेगा।

यदि उपरोक्तानुसार अनुमोदन के बगैर कोई भी विज्ञापन जारी किया जाता है तो वह व्यय वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में रखा जायेगा।

भवदीय,

(नवनीत सहगल)
अपर मुख्य सचिव

संख्या – 5691/अ0मु0स0/सू0वि0/2022 : तद्दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र संख्या–217/सू0एवंज0स0वि0(सो0मी0)–05/2022 दिनॉक 02 अगस्त, 2022 के सन्दर्भ में।

05.08.2022